(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 33/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 30/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मई, 2021, जिसे सा.का.नि. 313 (अ), दिनांक 1 मई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार